जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

शाखा ____________________

वाहन ऋण आवेदन पत्र हेतु चेक लिस्ट

आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज			
1.	पहचान पत्र	हाँ ☐	नहीं ☐
2.	मूल निवासी प्रमाण-पत्र	हाँ ☐	नहीं ☐
3.	प्रमाणित फोटो	हाँ ☐	नहीं ☐
4.	विगत 3 माह के बैंक स्टेटमेंट	हाँ ☐	नहीं ☐
5.	नियोक्ता की सहमति अथवा अग्रिम चैक	हाँ ☐	नहीं ☐
6.	नियोक्ता के पक्ष में अथारिटी लेटर (धारा 42 का प्रारूप पर आवेदक)	हाँ ☐	नहीं ☐
7.	नियोक्ता कार्यालय से वेतन प्रमाण-पत्र	हाँ ☐	नहीं ☐
8.	जमानतदार की ऋण अदायगी हेतु	हाँ ☐	नहीं ☐
9.	आयकर रिटर्न की छायाप्रति (यदि लागू होतो)	हाँ ☐	नहीं ☐
10.	ऋण आवेदन फार्म शाखा प्रबंधक से राशि रु. 25/- बैंक में जमा कराये जाने के पश्चात् प्राप्त होगा। रु. 25/- में से रु. 10/- अंश पूंजी, रु. 10/- सदस्यता शुल्क तथा रु. 5/- आवेदन फार्म का शुल्क होगा।		

शाखा प्रबन्धक की टीप व अनुशंसा

Scanned by CamScanner

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

शाखा ______________________

वाहन ऋण आवेदन पत्र

आवेदक का व्यक्तिगत एवं नियोजन विवरण

नाम	सरनेम	पहला नाम	मध्य नाम	
आत्मज/आत्मजा/पत्नी				
वर्तमान रहवास का पता				
दूरभाष क्र.				
मोबाइल नं.				
जन्म तिथि		आयु	वर्ष	
लिंग	☐ पुरुष	☐ स्त्री		
वैवाहिक	☐ एकल	☐ विवाहित	अन्य	
आश्रितों की संख्या	☐ बच्चे	☐ अन्य		
व्यवसाय	☐ सेवारत	☐ स्वयं का व्यवसाय		
धारित पद				
शैक्षणिक योग्यताएँ				
मासिक वेतन	रु.			
अन्य आय	रु.	स्रोत		
नियोक्ता/व्यवसाय				
नियोक्ता/व्यवसाय का नाम एवं पता	दूरभाष			
कार्यालय दूरभाष क्रमांक	फोन	फैक्स		
नियोजन/व्यवसाय की सेवा अवधि	वर्ष	सेवानिवृत्ति आयु		
विभाग				
कर्मचारी कोड संख्या				

आवेदित ऋण

राशि रु.	1. वाहन का नाम ______________________
शब्दों में	2. मेक ______________________
अवधि वर्ष	3. मॉडल ______________________
अवधि वर्ष	4. वस्तु का मूल्य (कोटेशन संलग्न करें) ______________________
ई.एम.आई. राशि	5. डीलर/सप्लायर का नाम व पता ______________________
	______________________

Scanned by CamScanner

आवेदक का हस्ताक्षर युक्त फोटो	सह–आवेदक का हस्ताक्षर युक्त फोटो	**कार्यालयीन उपयोग हेतु** दिनांक फाईल नं. हस्ताक्षर

वित्तीय जानकारियाँ

बचत, निवेश आदि
विवरण आवेदक
बैंक में बचत रु. ....
अचल संपत्ति ....
भविष्य निधि में स्वयं का अंश ....
चल/अचल सम्पत्ति विवरण एवं बाजार मूल्य
दिनांक .... की स्थिति पर
1. ....
2. ....
जीवन बीमा पॉलिसी
परिपक्वता दि. ....

गृहिता/प्रस्तावित ऋण–
अन्य ऋण/प्रस्तावित ऋण जो नियोक्ता अथवा पी.एफ. से लिये गये, की देय ब्याज सहित मासिक किश्तों का विवरण

ऋण का स्रोत	राशि (रु.)	राशि (रु.)	अवधि (महिने)
नियोक्ता	....	....	....
बैंक	....	....	....
अन्य	....	....	....

बैंक का विवरण

खाता धारक का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम	चालू/बचत खाता	खाता संख्या

संदर्भ (किन्हीं दो संदर्भितों के नाम एवं पते जो आपसे संबंधित हो)

	1		2	
बैंक द्वारा संदर्भित व्यक्तियों से जानकारी ली जा सकती है।				
	फोन ऑ.	नि.	फोन ऑ.	नि.

सामान्य जानकारी (आवेदक के लिये)

1. क्या आपने/जीवनसाथी ने पहले कभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में ऋण के लिये आवेदन दिया। ☐ हाँ ☐ नहीं
   यदि हाँ,
   अ. ऋण खाता संख्या ....
   ब. अन्य विवरण

2. क्या आपने/जीवनसाथी ने पहले कभी बैंक में अन्य हेतु ऋण की जमानत दी है ? ☐ हाँ ☐ नहीं
   यदि हाँ,
   अ. ऋण खाता संख्या ....
   ब. ऋणी का नाम ___________________

3. अन्य सम्पत्ति जो बंधक रखना चाहते हों

4. ऋण किश्त देने हेतु उपयुक्त साधन का चयन करें।
   अ. मासिक किश्त का नियोक्ता के माध्यम से कटोत्रा ☐
   ब. उत्तर दिनांकित चेक ☐
   स. खाते से स्थाई निर्देश ☐
   द. अन्य स्पष्ट करें ....

जमानतदार की जानकारी एवं सहमति पत्र	
जमानतदार का नाम एवं पता	
जन्म तिथि	
मतदाता परिचय पत्र संख्या	
व्यवसाय	
मासिक वेतन	
अन्य आय	
नियोक्ता/व्यवसाय	
चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	

मैं ________________ श्री/श्रीमती ________________ जिन्होंने ________________ कार्य के लिये जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा से रुपये .... (शब्दों में ________________) ऋण लेने हेतु आवेदन किया है कि जमानत देना स्वीकार करता हूँ। मैंने बैंक के ऋण नियम समझ लिये हैं तथा मुझे बंधनकारक है। इस प्रतिभूति बंध के अंतर्गत प्रतिभूति की गयी राशि रुपये .... (शब्दों में ________________) को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा द्वारा मांग करने पर तत्काल भुगतान करने का दायित्व संयुक्त और/अथवा पृथक् -पृथक् रुप से मूल ऋणी और/अथवा मुझ पर होगा। ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा न करने की स्थिति में सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करने का दायित्व मेरा होगा।

दिनांकः ....

जमानतदार के हस्ताक्षर
व पूरा नाम

Scanned by CamScanner

आवेदक की घोषणा

मैं/हम घोषित करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गयी यथोक्त जानकारी सत्य एवं सही है, जिसके आधार पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., विदिशा द्वारा मुझे/हमें ऋण देने का निर्णय लिया जा रहा है। मैं यह आश्वस्त करते हैं कि मेरे/हमारे विरुद्ध कोई भी इन्साल्वेंसी की कार्यवाही नहीं हुई थी और ना ही कोई कार्यवाही लंबित है और ना ही मैं/हम कभी इन्साल्वेंट घोषित हुए हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., विदिशा द्वारा आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में संदर्भितों से आवश्यक होने पर जाँच पड़ताल की जा सकती है। मैं/हम यह भी स्वीकार करते हैं कि मेरे/हमारे व्यवसाय या नौकरी में यदि कोई परिवर्तन होता है और/या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., विदिशा द्वारा कोई और जानकारी चाही जाती है तो मैं/हम यह सूचना/जानकारी बैंक को देंगे। मैं/हम हमारे नियोक्ता को मासिक समान किश्तों की वेतन से प्रतिमाह कटौती कर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., विदिशा को भेजने के लिये अधिकृत करते हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा द्वारा समय-समय पर ऋण नियमों में किये जाने वाले परिवर्तनों को भी स्वीकार करेंगे।

हस्ताक्षर ऋणी के

नाम ______________________

पता ______________________

____

दिनांक ....

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम ______________________

पता ______________________

____

दिनांक ....

आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज

1. पहचान पत्र, 2. मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 3. प्रमाणित फोटो, 4. विगत 3 माह के बैंक स्टेटमेंट, 5. नियोक्ता की सहमति अथवा अग्रिम चैक, 6. नियोक्ता के पक्ष में अथारिटी लेटर (धारा 42 का प्रारूप पर आवेदक), 7. नियोक्ता कार्यालय से वेतन प्रमाण-पत्र, 8. जमानतदार की ऋण अदायगी हेतु सहमति, 9. आयकर रिटर्न की छायाप्रति (यदि लागू हो तो), 10. ऋण आवेदन फार्म शाखा प्रबंधक से राशि रु. 25/- बैंक में जमा कराये जाने के पश्चात् प्राप्त होगा। रु. 25/- में से रु. 10/- अंश पूंजी, रु. 10/- सदस्यता शुल्क तथा रु. 5/- आवेदन फार्म का शुल्क होगा।

Scanned by CamScanner

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

व्यक्तिगत हितग्राहियों को स्वयं के उपयोग हेतु वाहन क्रय हेतु मध्यावधि ऋण

वाहन ऋण सम्बन्धी नियम :–

1) **ऋण की पात्रता :–**

अ) ऐसे व्यक्ति जो कि संविदा करने हेतु योग्य है अर्थात् अवयस्क, दिवालिया अथवा पागल न हो, इस ऋण हेतु पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त एकल व्यापारी / उद्यमी / प्रोप्रायटरी फर्म कंपनी कार्पोरेट / रजिस्टर्ड बाडीज / एजेंसी / संस्था भी इस ऋण हेतु पात्र होंगे।

ब) आवेदक एवं जमानतदार को बैंक का खाताधारी होना आवश्यक है।

स) ऋण हेतु आवेदक एवं जमानतदार को बैंक का नाममात्र का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

द) शासकीय, अर्द्धशासकीय या निजी संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों के साथ–साथ प्रतिष्ठित व्यवसायियों तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एवं डॉक्टर्स इंजीनियर्स आदि को योजनांतर्गत ऋण स्वीकृति में प्राथमिकता दी जावेगी।

इ) वैतनिक आवेदकों को सेवानिवृत्ति के लिये न्यूनतम 5 वर्ष शेष होना चाहिये। ऐसे प्रकरणों में ऋण की ब्याज सहित अदायगी सेवानिवृत्ति के पूर्व सुनिश्चित होना चाहिये।

ई) अवैतनिक व्यक्ति व्यवसायियों को ऋण अदायगी क्षमता का उचित आंकलन एवं परीक्षण करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृत किया जावेगा।

ए) आवेदक के पास वेद्य ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिये अथवा वाहन क्रय के साथ लेना होगा।

2) **ऋण हेतु अनुमोदित वाहन :–** उस योजना के अंतर्गत आवेदों को स्वयं के उपयोग हेतु नया वाहन क्रय करने हेतु ऋण प्रदाय किया जा सकेगा।

3) **ऋणी का रोजगार या निवास का क्षेत्र :–** आवेदक उस शाखा के क्षेत्राधिकार में निवास करने वाला या किसी कार्यालय का कर्मचारी या अन्य रूप से कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिये जिसमें उसने ऋण हेतु आवेदन दिया है।

4) **आवेदन :–** आवेदक को ऋण आवेदन पत्र के साथ Profarma Invoice व Driving Licence की कॉपी भी सम्बन्धित शाखा में जमा करानी चाहिये।

5) **ऋण की सीमा :–**

अ) ऋण की राशि क्रय की जा रही वाहन के मूल्य के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, परन्तु ऐसे ऋण की अधिकतम सीमा रु. 5.00 लाख होगी।

ब) आवेदन द्वारा मार्जिन राशि की सम्पूर्ण राशि शाखा स्थित अपने खाते में जमा कराना होगी। बैंक द्वारा संपूर्ण राशि का भुगतान सीधे प्रदायकर्ता को चेक / ड्राफ्ट के माध्यम से किया जावेगा।

स) ऋणी द्वारा क्रय किये गये वाहन का बिल एवं चेक / ड्राफ्ट की पावती रसीद संबंधित शाखा में जमा की जावेगी।

द) ऋण अधिकतम निम्न सीमा तक दिया जा सकेगा।

- निवल वार्षिक आय (आयकर विवरणी के आधार पर) का दुगुना, या
- खरीदे जा रहे वाहन के मूल्य का 80 प्रतिशत, या
- अधिकतम रु. 5.00 लाख, उपरोक्त में से जो भी कम हो।

6) **ऋण की अवधि :–** ऋण अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति किया जावेगा। यदि शाखा प्रबंधक द्वारा स्व–विवेक से उपयुक्त समझा जाता है तो ऋण की अवधि उनके द्वारा घटाई जा सकेगी।

7) **ऋण की ब्याज दर व खाते में पर्याप्त राशि रखने संबंधी :–**

अ) ऋण पर बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित ब्याज दर प्रभावित की जावेगी। ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों को ऋणी को मान्य रखना होगा।

ब) ऋण की वसूली 60 समान किश्तों में की जावेगी। किश्तों का निर्धारण इक्वेटेड पद्धति के आधार पर किया जावेगा। उक्त ऋण पर ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जावेगी।

स) ऋणी द्वारा शाखा स्थित अपने बचत खाते में कम से कम एक मासिक किश्त के बराबर की राशि व बीमे के Premium के बराबर की राशि रखी जावेगी। वैतनिक कर्मचारियों का वेतन जहाँ तक संभव हो शाखा में स्थित बचत खाते में जमा होना चाहिये।

द) कालातीत किश्त पर भुगतान तिथि पर 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्ड ब्याज किया जावेगा।

8) **ऋण की प्रतिभूति :–**

अ) स्वीकृत ऋण के क्रय किये गये वाहन का हायपोथिकेशन निर्धारित प्रारूप में कराया जावेगा।

ब) ऋणी द्वारा एक व्यक्ति जो कि बैंक को मान्य हो, की गांरटी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी।

स) अवैतनिक हितग्राही के प्रकरण में ऋणी द्वारा स्वयं अथवा गारंटीदाता द्वारा ऋण राशि के डेढ़ गुने मूल्ये की अचल संपत्ति के मूल स्वत्व विलेख प्रस्तुत करते हुए साम्यिक बंधक कराया जावेगा।

द) साम्यिक बंधक हेतु अचल सम्पत्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में ऋणी स्वयं के नाम से शीर्ष बैंक में जमा सावधि अमानत किसान / इंदिरा विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बचत पत्र को भी प्रतिभूति के रूप में रख सकेगा बशर्ते की अमानत राशि ऋण राशि के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु उपयुक्त हो। अतः ऋण एवं अमानत राशि का अनुपात 1:130 रखा जावेगा, अर्थात् रुपये 1 / – लाख के ऋण हेतु 1.30 की मियादी अमानत के रूप में स्वीकार की जावेगी।

इ) वैतनिक हितग्राहियों द्वारा नियोक्ता से सहमति पत्र अथवा ऋण भुगतान हेतु बैंक के पक्ष में अग्रिम चैक एवं नियोक्ता के पक्ष में अथॉरिटी लेटर दिया जाना होगा।

9) **ऋण की राशि का भुगतान :–**

अ) ऋण की राशि का भुगतान सीधे डीलर को ड्राफ्ट / चैक द्वारा किया जायेगा। इस हेतु ऋण ग्रहिता द्वारा अपने खाते में मार्जिन की राशि जमा की जायेगी। तत्पश्चात् वाहन के पूरे मूल्य का भुगतान बैंक द्वारा डीलर को किया जावेगा।

ब) ऋणी द्वारा क्रय की गई वाहन का मूल बीजक / बिल तथा ड्राफ्ट / चैक की पावती तथा रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति शाखा में जमा की जावेगी।

10) **बीमा :–** ऋण से क्रय किये गये वाहन का बीमा (कमप्रीहेन्सिव) ऋणी व बैंक के संयुक्त नाम से कराया जावेगा, जिसमें समस्त जोखिम जैसे–चोरी आदि शामिल होंगे। ऋणी द्वारा प्रीमियम का भुगतान न करने की दशा में प्रीमियम की राशि का भुगतान बैंक द्वारा ऋणी के बैंक में खोले गये Saving Account के माध्यम से किया जावेगा अथवा ऋण राशि को नाम कर बीमा की किश्त का भुगतान किया जावेगा। बीमा पॉलिसी की मूल प्रति बैंक के आधिपत्य में रखी जावेगी।

11) **वाहन का संयुक्त पंजीयन :–**

अ) आर. टी. ओ. के पास वाहन का संयुक्त पंजीयन कराया जाकर बैंक का प्रभार अंकित कराया जावेगा। वाहन बैंक के पास दृष्टिबंधक (हायपोथिकेशन) रहेगा।

ब) ऋणी द्वारा आर. टी. ओ. का फार्म नम्बर 29 एवं 30 निष्पादित कराकर बैंक रिकार्ड में रखा जावेगा।

12) **ऋणी द्वारा बैंक को ऋण का भुगतान :–**

अ) ऋणी द्वारा ऋण व ब्याज का भुगतान 36 / 60 समान मासिक किश्तों में किया जावेगा। किश्त का निर्धारण इक्वेटेड इन्सटालमेन्ट पद्धति से किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

ब) ऋण के पुर्नभुगतान के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जावेगा –
- किश्त का भुगतान उस माह के तुरंत बाद वाले माह से शुरू होगा जिस माह में ऋण दिया गया था।
- किश्त का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख (Due Date) तक अनिवार्य रूप से किया जावेगा।
- किश्त का भुगतान निर्धारित समय पर न करने पर किश्त Over Due होने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 2 प्रतिशत की दर से Penal Interest लगाया जावेगा।
- किश्त का भुगतान निर्धारित समय या उससे पूर्व न करने की दशा में बैंक द्वारा ऋणी व गारंटी कर्ता को Reminder भेजा जायेगा।
- यदि ऋणी द्वारा लगातार तीन किश्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी ऋणी व गारंटीकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलेगा व Hypothecate की गई वस्तु का निरीक्षण करेगा।
- यदि ऋणी द्वारा किश्त भुगतान हेतु दिया गया चैक अनादरित होता है तो बैंक द्वारा ऋणी के विरूद्ध (CRPC की धारा 138) कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- ऋण योजना नियमों के अनुसार बैंक को यह अधिकार होगा कि यदि ऋणी द्वारा किश्तों के भुगतान में लापरवाही बरती जाती है या लगातार 3 किश्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो शाखा ऋणी व गारंटीकर्ता को नोटिस भेजकर समस्त (समस्त सहित) को एक साथ जमा करने के लिये कह सकती है।
- यदि उपरोक्त निर्गमित किये गये नोटिस का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है तो शाखा इस ऋण खाते को Legal Action हेतु मुख्यालय के विधि विभाग को भेज सकेगी।

स) वैतनिक कर्मचारियों की दशा में Carry Home Pay सकल मासिक आय से समस्त किश्तों व कटौतियों को घटाने के पश्चात् 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

द) पुर्नभुगतान क्षमता के आंकलन के अंतर्गत ऋण की किश्त ऋणी के सकल मासिक वेतन के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिये।

13) दस्तावेजों :–

क्र.	वैतनिक हितग्राही से	क्र.	अवैतनिक हितग्राही से
1	आवेदन पत्र	1	आवेदन पत्र
2	मांग वचन पत्र	2	मांग वचन पत्र
3	गारंटीदाता का करार	3	गारंटीदाता का करार
4	हायपोथिकेशन डीड	4	हायपोथिकेशन डीड
5	लेटर ऑफ अथारिटी	5	लेटर ऑफ अथारिटी
6	नियोक्ता की सहमति अथवा अग्रिम चेक	6	अग्रिम चेक
7	वैयक्तिक अधिकार एवं घोषणा पत्र	7	वैयक्तिक अधिकार एवं घोषणा पत्र
8	आर. टी. ओ. से रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र	8	आर. टी. ओ. से रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र
9	ऋणी एवं जमानतदार द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र	9	ऋणी एवं जमानतदार द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र
10	Proforma Invoice	10	Proforma Invoice
11	Delivery Invoice	11	Delivery Invoice
12	Receipt for the money paid	12	Receipt for the money paid
13	Duplicate key of the vechile	13	Duplicate key of the vechile
14	Insurance Policy की मूल प्रति	14	Insurance Policy की मूल प्रति

14) ऋणी स्वीकृति का अधिकार :– अनुशंसा पर ऋण कमेटी का होगा।
योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति करने का अधिकार शाखा प्रबंधक की अनुशंसा पर ऋण कमेटी का होगा। बैंक द्वारा हितग्राही को विस्तृत स्वीकृति पत्र, जिसमें योजना की आवश्यक शर्तें समाहित हो, जारी किया जावेगा।

15) नियम में परिवर्तन :– उपरोक्त नियमों में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित होगा, जो ऋण लेने वाले व्यक्ति को मान्य होगा।

अ) हितग्राही से मूल निवासी/स्थायी निवासी के प्रमाण हेतु राशनकार्ड/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र/बिजली बिल/टेलीफोन बिल अथवा बैंक को मान्य अथवा प्रमाण–पत्र की छायाप्रति प्राप्त की जावे।

ब) हितग्राही/जमानतदार से कोलेटरल सिक्यूरिटी के रूप में प्राप्त अचल सम्पत्ति के दस्तावेज की 13 वर्षीय सर्च रिपोर्ट एवं पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध रजिस्ट्री की सत्य प्रतिलिपि बैंक के अधिकृत अभिभाषक द्वारा शाखा को प्रस्तुत की जावेगी एवं उक्त कार्यवाही पर व्यय का भुगतान हितग्राही द्वारा किया जावेगा।

स) हितग्राही/जमानतदार द्वारा कोलेस्टरल सिक्यूरिटी के रूप में बंधकित की जाने वाली सम्पत्ति का मूल्यांकन शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यांकन (पंजीकृत) द्वारा किया जावेगा, जिस पर होने वाले व्यय का भुगतान हितग्राही द्वारा किया जावेगा।

द) हितग्राही को स्वीकृत वाहन ऋण के लिए निर्धारित किश्त का भुगतान हितग्राही द्वारा निर्धारित अवधि में करना आवश्यक होगा।

इ) अग्रिम चैक प्राप्ति की दशा में ऋण अदायगी के लिए कम से कम 20 चैक एक साथ प्राप्त किये जावे एवं कतिपय चैक शेष रहने पर आगामी चैक प्राप्त कर लिये जावेंगे।

ई) हितग्राही को होने वाली आय एवं कटौत्रा तथा दैनिक खर्चो के पश्चात् शेष राशि को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति की कार्यवाही की जावे एवं तदनुसार किश्त का निर्धारण भी किया जावे।

ए) क्रय किये गये वाहन का निरीक्षण शाखा अधिकारी को वाहन की डिलेवरी के समय करना चाहिये व इस संबंध में आवश्यक रिकार्ड रखना चाहिये। इसके साथ–साथ शाखा अधिकारी को ऋणी के साथ किये गये Agreement के अनुसार समय–समय पर वाहन का निरीक्षण करते रहना चाहिये व संबंधित रिकार्ड रखना चाहिये।

Scanned by CamScanner